



Government of Haryana
Environment, Forest and Wildlife Department
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक: 274-व-3-2023 / 890
चण्डीगढ़ दिनांक 07.02.2023

विषय:

Diversion of 0.0046 ha. of Forest land in **Hisar Forest Division** favour of M/s Shree Balaji Phosphate and Organic industries bearing Khasra No. 72//3,4,7,8/1,14/1 on Choudharywas to Gawar Road (ODR) at Village Gawar, at Districts Hisar & District Hisar, Under Forest Division & Distt Hisar, Haryana.
(Online Proposal No. FP/HR/Approach/151308/2022)

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा पंचकुला की सिफारिश के दृष्टिगत M/s SHREE BALAJI PHOSPHATE INDUSTRIES का कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में **हिसार वन मण्डल** के तहत 0.0046 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें कोई भी वृक्ष/पौधे नष्ट नहीं होंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपुर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता ऐजेंन्सी से कैम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी:-

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपुर्ति पौधारोपण चार्जिज	
2.	Barbed Charge	52667
3.	Supervisory Charge	80000
4.	मुदा एवं नमी संरक्षण चार्जिज	5267
5.	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फोरेस्ट लैण्ड	15800
6.	अतिरिक्त चार्जिज	4406
	कुल	4612
		162752

इस केस में प्रतिपुर्ति पौधारोपण की राशि से Gawar Minor RD 14-17 R/side, पर 100 पौधे लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जानी है। अतः भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1-52/Misc/2019/ROC/496 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में उक्त प्रस्ताव संस्तुति उपरान्त सरकार को ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक,

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

10

Full Title of the Project : Diversion of 0.0046 ha of Forest land in favor of M/s Shree Balaji Phosphate and Organic Industries bearing Khasra No 72//3,4,7,8/1,14/1 on Choudharywas to Gawar Road(ODR) at village Gawar, at district Hisar ,Under Forest Division & District Hisar, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/151308/2022

PART-V

(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18.	Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)	Recommended for approval.
-----	--	---------------------------

Date : 02/02/23

Place : Chandigarh

Signature

Name: Dr. T.P Singh,
Secretary to Govt. of Haryana,
Forest & Wildlife Department

Office Seal Secretary to Govt. of Haryana,
Forest Department